

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ( पदेन सहायक कलक्टर )

( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत कैम्प कोर्ट ) कैम्प = जैतारण

आदेश

प्रा.पत्र 7 13/20

प्रार्थी के " खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी फालका व भू.अ.नि. डारो काठ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नसब-तहसीलदार जैतारण की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम फालका तहसील जैतारण व जिला पाली की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 191, 498 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि में दर्ज को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश किये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि ( अशुद्ध प्रविष्टि )	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है। )
1	फालका	191	ख.नं. 957 रकबा 1-16	ख.नं. 957 रकबा 1-16
		498	ख.नं. 157 रकबा 1-15	957 रकबा 1-15
<p>शेष इन्हाज जमाबन्दी अनुसार बदलकर रखा जावे।</p>				

*[Signature]*

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण  
दिनांक 4/9/2020

क्रमांक : - 130-132

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार जैतारण को भेजकर लेख है कि आदेशनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

*[Signature]*

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, जैतारण

